न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री बीरबल सिंह शेखावत, आर.ए.एस.
अपील संख्या : 1019/2018

1. मगन सिंह पुत्र नाथू सिंह
2. जगमाल सिंह पुत्र नाथू सिंह
3. ओमपाल सिंह पुत्र नाथू सिंह
4. रामचन्द्र सिंह पुत्र नाथू सिंह
5. सुन्दर सिंह पुत्र नाथू सिंह
6. राजकुमार सिंह पुत्र नाथू सिंह
7. चतर कंवर पत्नि नाथू सिंह

समस्त जाति राजपूत, निवासीः ग्राम मढा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. धन्शीराम पुत्र गोदाराम
2. कमली पुत्री गोदाराम
3. मन्नी पुत्री गोदाराम
4. भग्गाराम पुत्र श्योनाथ
5. रामस्वरूप पुत्र ग्यारसीलाल
6. हरफूल पुत्र ग्यारसीलाल
7. कैलाश पुत्र ग्यारसीलाल
8. दशरथ सिंह पुत्र ग्यारसीलाल
9. भगवती पत्नि ग्यारसीलाल

समस्त जाति यादव अहीर, निवासीः ग्राम मंढा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

10. एम.जी.बी. बैंक शाखा पाछूडाला, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
11. सरकार जरिये तहसीलदार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।
12. सब रजिस्ट्रार कोटपूतली, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर।

—— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2018 न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर वाद संख्या 200/2014 उनवानी गोदाराम व अन्य बनाम जगमाल सिंह व अन्य अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः

श्री हेमन्त दीक्षित एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थीगण
श्री रविकांत शर्मा एडवोकेट
विद्वान अधिवक्ता रे. सं. 1 ल. 5

निर्णय दिनांकः 30.12.2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

—: निर्णय :—

1. अपीलान्ट्स की ओर से एक अपील न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर के वाद संख्या 200/2014 बउनवानी गोदाराम व अन्य बनाम जगमाल सिंह व अन्य में पारित निर्णय डिक्री दिनांक 06.11.2018 के विरूद्व अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी साबिक खसरा नंबर 1394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1395 रकबा 13 बिस्वा बंदोबश्त साबिक जिसके हाल खसरा नंबर 1762/0.19, 1763/0.43, 1764/0.14, 1766/0.34, 1795/0.13 वाके ग्राम मंढा बने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होते समय उपरोक्त आराजी के बिस्वेदार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के बुजुर्गान थे तथा उपरोक्त आराजी के खातेदार काश्तकार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के बुजुर्ग थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पश्चात् प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान की बिस्वेदारी एवं उनके संपूर्ण अधिकार समाप्त होकर उक्त भूमि के मालिकाना हक राजस्थान सरकार में निहित हो गये एवं तरतीबी प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये, तभी से ही वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान उपरोक्त आराजी पर बतौर काश्तकार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगा एवं उनके बुजुर्गान 70 वर्षो से भी अधिक समय से काश्त करते चले आ रहे है। प्रतिवादीगण एवं उनके बुजुर्गान उपरोक्त आराजीयात के बिस्वेदार थे एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवे बिस्वेदारान उन्मूलन अधिनियम 1959 लागू होने के पश्चात् इनके अधिकार स्वयंमेव ही समाप्त हो गये किन्तु राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती व लापरवाही के कारण प्रतिवादीगण का नाम चला आ रहा है। उपरोक्त आराजीयात को मौके पर अपने अपने हिस्से अनुसार वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण ने बांट रखी है इस प्रकार उपरोक्त आराजी में से हिस्सा 1/2 पर वादीगण संख्या 1 व 2 तथा हिस्सा 1/4 पर वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 तथा हिस्सा 1/4 पर तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड में राजस्व कर्मचारियों की गलती एवं लापरवाही के कारण प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 का नाम होने से आये दिन वादीगण के कब्जे काश्त में मजाहमत व दीगर व्यक्तियों को बेचान करने की धमकी देते है तथा उपरोक्त आराजीयात को खुर्द—बुर्द करने पर उतारू है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को बहुत समझाया कि वे काफी समय से आराजीयात को काश्त करते चले आ रहे है। आप लोग उक्त जमीन को हमारे नाम करवाये किन्तु प्रतिवादीगण बाजौर, लठैत व झगडालु किस्म के व्यक्ति है, नहीं मानते है इस कारण वादीगण को यह वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। वादीगण ने वाद के अन्य बिन्दुओं के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादीगण वाद स्वीकार कर आराजी साबिक खसरा नंबर 1394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1395 रकबा 13 बिस्वा बंदोबश्त साबिक जिसके हाल खसरा नंबर 1762/0.19, 1763/0.43, 1764/0.14, 1766/0.34, 1795/0.13 वाके ग्राम मंढा, तहसील

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

कोटपूतली, जिला जयपुर में से प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर वादी संख्या 1 व 2 को हिस्सा 1/2 व वादी संख्या 3 व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 11 लगायत 14 को हिस्सा 1/4 तथा तरतीबी प्रतिवादी संख्या 15 को हिस्सा 1/4 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। आराजी साबिक खसरा नंबर 1394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1395 रकबा 13 बिस्वा बंदोबश्त साबिक जिसके हाल खसरा नंबर 1762/0.19, 1763/0.43, 1764/0.14, 1766/0.34, 1795/0.13 वाके ग्राम मंढा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर का पक्षकारान के मध्य तकासमा करवाया जाकर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के हिस्से में आई भूमि का वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को तन्हा रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग से बटा नंबर डालकर काबिज करवाया जावे तथा इसी कदर राजस्व रिकॉर्ड, जमाबंदी में नाम दर्ज किया जावे तथा वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण के नाम से पास बुक जारी की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि आराजी साबिक खसरा नंबर 1394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 1395 रकबा 13 बिस्वा बंदोबश्त साबिक जिसके हाल खसरा नंबर 1762/0.19, 1763/0.43, 1764/0.14, 1766/0.34, 1795/0.13 वाके ग्राम मंढा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर को प्रतिवादीगण किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बेचान नहीं करे, वादीगण को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे, कब्जा काश्त में मजाहमत नहीं करे, निर्माण कार्य नहीं करे एवं मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वकील पक्षकारान की बहस सुनकर बाद बहस मनन निर्णय दिनांक 06.11.2018 से वादीगण का वाद आंशिक स्वीकार किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई, रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब होने पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। वकील अपीलार्थी ने अपनी बहस मे मुख्यतः यह कथन किये कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 व 9 की विधिवत तामील नहीं करवाई गई एवं ना ही सुनवाई व जवाब प्रस्तुत करने का कोई अवसर ही प्रदान ही किया। खसरा गिरदावरी अधिकार अभिलेख नहीं है एवं इस आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष संवत् 2012 की जमाबंदी पेश नहीं की है। बावजूद इसके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्स का वाद स्वीकार कर डिक्री किये जाने में महान कानूनी त्रुटि की है। इस कारण अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2018 खारिज फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलार्थी के कथनों का खंडन करते हुये बताया कि आराजीयात अपीलान्ट्स के नाम गलती से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई थी एवं रेस्पोडेन्ट् आराजीयात पर काबिज काश्त है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के गहन परीक्षण पश्चात् सही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट ने मात्र अमूल्य समय व्यर्थ करते हुये आधारहीन तथ्यों पर अपील प्रस्तुत की है। इस कारण अपील अपीलार्थी आधारहीन होने से खारिज फरमाई जावे।

4. वकील उभयपक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। बाद अवलोकन यह पाया वादी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादग्रस्त आराजीयात के संदर्भ में घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 06.11.2018 को आंशिक स्वीकार किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेजात के समुचित अवलोकन पश्चात् पाया गया कि साबिक खसरा नंबर 1394 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा व साबिक खसरा नंबर 1395 रकबा 13 बिस्वा के संदर्भ में अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रदर्श–2 खसरा गिरदावरी संवत् 2008 से 2011 व न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गिरदावरी संवत् 2012 व लगान की रसीदे व अन्य दस्तावेजात गवाहान के बयानात को देखने से स्पष्ट है कि वादीगण के बुजुर्गान श्योनाथ का उक्त भूमि पर संवत् 2008 से 2012 तक काश्त किया जाना प्रमाणित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जो अधिनियम के प्रारंभ के समय उपवन भूमि से भिन्न भूमि का खुदकाश्त के रूप में आसामी था, उसे भूमि के खातेदार आसामी के रूप में अधिकार प्राप्त हो जायेगे। वादीगण के बुजुर्गान श्योनाथ का नाम गिरदावरी संवत् 2008 से 2011 व संवत् 2012 के कॉलम संख्या 6 में बतौर कृषक खुदकाश्त के रूप में दर्ज है इसलिये उसे स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्रोद्यभूत हो जायेगे। प्रदर्श–3 मिलान क्षेत्रफल से साबिक खसरा नंबर 1394 व 1395 के हाल खसरा नंबर 1762/0.19, 1763/0.43, 1764/0.14, 1766/0.34, 1795/0.13 बनने की पुष्टि होती है। चूंकि खसरा नंबर 1795 कि किस्म साबिक एवं वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में गैर. मु. नाले के रूप में दर्ज है जिससे धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् खसरा नंबर 1795 में खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्योनाथ के वारिसान होने के आधार पर वादीगण एवं तरतीबी प्रतिवादीगण को दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार सही खातेदारी अधिकार प्रदत्त किये गये है। फलस्वरूप अपील अपीलान्ट आधारहीन होने से खारिज योग्य पायी जाती है।

5. अतः अपील अपीलार्थी खारिज कर अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली, जिला जयपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.11.2018 यथावत रखा जाता हैं। पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद दाखिल दफ्तर हो।

6. निर्णय आज दिनांक 30.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर